

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण विभाग-अनुभाग-2

संख्या-5930 III (2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी0सी0
देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

:: कार्यालय ज्ञाप ::

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-2087 / III (2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी0सी0 दिनांक 16 अगस्त, 2017 द्वारा ₹ 1.00 लाख से ₹ 150.00 लाख तक की लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की विभिन्न दरें निर्धारित की गयी हैं किन्तु ₹ 150.00 लाख से अधिक की लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की दरें निर्धारित नहीं की गयी है, जिसके कारण लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों/वृत्तों द्वारा अलग-अलग धनराशि की मांग निविदा फार्म शुल्क हेतु की जा रही है।

2. अतः ₹ 150.00 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदा फार्म की दर ₹ 5000.00 + जी.एस.टी. निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-781 / XXVII / (7) / 2018 दिनांक 29 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5930 / III (2) / 18-75(सामान्य) / 2000 टी0सी0 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड बुक।

1.5
upward

21/11

11.12.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव